



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.के.-अ.-18012023-242060
CG-JK-E-18012023-242060

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]
No. 34]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2023/पौष 27, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2023/PAUSHA 27, 1944

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और काश्मीर व लद्दाख के लिए)

अधिसूचना

जम्मू, 3 जनवरी, 2023

सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/04.—जबकि विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 83 की उपधारा की उपधारा 5 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने का. आ. संख्या 1984 (अ) दिनांक 18.06.2020 के माध्यम से एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और काश्मीर व लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का गठन किया है और इसने 28.08.2020 से काम करना प्रारम्भ किया।

जब कि, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के साथ पठित धारा 86 की उप धारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में पहले प्रकाशन में आयोग को सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और काश्मीर व लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग एतद द्वारा निम्नलिखित विनियमों का निर्माण करता है।

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1.1 इन नियमों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क, जुर्माना और प्रशुल्क) विनियमावली, 2023 कहा जा सकता है।

1.2 ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

1.3 ये विनियम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लागू होंगे।

2 परिभाषाएं

2.1. इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- क) "अधिनियम" का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36), और उसके बाद के संशोधन;
- ख) "आयोग" का अर्थ है जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश और लद्दाख संघ शासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग;
- ग) "शुल्क" का अर्थ है अनुसूची में उल्लिखित शुल्क;
- घ) "जुर्माना और/या शुल्क" का अर्थ है जुर्माना और/या शुल्क जिसे आयोग को अधिनियम के तहत लगाने का अधिकार है;
- ङ) "उत्पादक कंपनी" का अर्थ है विद्युत अधिनियम के अंतर्गत इस शब्द को दिया गया अर्थ;
- च) "ग्रिड" का अर्थ है इंटर-कनेक्टेड ट्रांसमिशन लाइनों, सब-स्टेशनों और उत्पादन संयंत्रों की उच्च वोल्टेज बैकबोन प्रणाली;
- छ) "लाइसेंसधारी" का अर्थ है अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंसधारी;
- ज) "कार्यवाही" का अर्थ है वह कार्यवाही और इसमें सभी प्रकार की कार्यवाही शामिल है, जो आयोग अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में आयोजित कर सकता है;
- झ) "विनियम" का अर्थ है जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, जुर्माना और शुल्क) विनियम, 2023।
- ञ) "अनुसूची" जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए इन विनियमों से जुड़ी अनुसूची को संदर्भित करता है।
- ट) "सचिव" का अर्थ है जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग के सचिव।

2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों या अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम, या उसके तहत बनाए गए नियमों या अन्य विनियमों में दिया गया है।

3. आवेदनों और याचिकाओं पर शुल्क या प्रभार

3.1 आयोग को किए गए प्रत्येक आवेदन, याचिका या शिकायत के साथ इन विनियमों से जुड़ी अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क या प्रशुल्क देय होंगे।

3.2 इन विनियमों में निर्दिष्ट शुल्क या शुल्क का भुगतान अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (जैसे रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से) के माध्यम से किया जाएगा; या नकद में; या एक हजार रुपये से अधिक की राशि के लिए जम्मू में देय 'जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग' के पक्ष में तैयार बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के द्वारा किया जाएगा।

3.3 इन विनियमों के तहत आयोग के सचिव द्वारा प्राप्त शुल्क आयोग के किसी बैंक खाते में और ऐसी शाखाओं में जमा किया जाएगा जैसा की आयोग समय-समय पर निर्देश दे।

3.4 ऐसे मामलों में नए आवेदन के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा, जिन्हें आयोग ने संबंधित उच्च न्यायालय या अधिकरण के निर्णय के बाद आवेदक को आयोग से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ पहले निपटाया था।

4. लाइसेंस शुल्क या लाइसेंस पर देय शुल्क

4.1 आयोग बिजली की आपूर्ति का व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस, जिसमें थोक आपूर्ति सहित बिजली का ट्रांसमिशन शामिल है, या किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार प्रदान करने वाले किसी अन्य आदेश के अनुसार छूट प्रदान करते समय इन अधिनियमों या आयोग द्वारा जारी अन्य विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कोई देय शुल्क लगा सकता है और उसे एकत्र कर सकता है और उसके बाद वार्षिक या आवधिक शुल्क लगा सकता है, जैसा कि आयोग लाइसेंस या विशेषाधिकार देने के आदेश में या एक अलग आदेश में निर्दिष्ट कर सकता है।

4.2 मौजूदा लाइसेंसधारी इन विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट वार्षिक शुल्क का भुगतान करेंगे। बशर्ते कि आयोग मौजूदा लाइसेंसधारी द्वारा वार्षिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए लागू तिथि के बारे में एक अलग आदेश जारी करेगा।

4.3 सभी वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 जून तक किया जाएगा।

4.4 वार्षिक शुल्क के विलंब से भुगतान की स्थिति में विलंबित राशि पर 1% प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

4.5 फीस और राशि उसी तरीके से देय होगी और जमा की जाएगी जैसा कि ऊपर विनियम 3.3 में निर्दिष्ट है।

5. जुर्माना और शुल्क लगाना

5.1 आयोग प्रभावित व्यक्ति से शिकायत प्राप्त होने पर या स्वयं संज्ञान लेते हुए जुर्माना और प्रभार लगाने और मुआवजे के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है यदि आयोग की राय है कि प्रस्तुत किए गए तथ्य प्रथम दृष्टया अधिनियम के किसी प्रावधान या आवश्यकता या आयोग के निर्देशों या आदेशों के तहत या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम का उत्पादन कंपनी, एक लाइसेंसधारी या अन्य व्यक्ति द्वारा गैर-अनुपालन या उल्लंघन का गठन करते हैं।

5.2 यदि आयोग प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्णय लेता है कि मामले में आगे बढ़ने का एक प्रथम दृष्टया कारण है, तो मामला दर्ज किया जाएगा और 30 दिनों के भीतर उस व्यक्ति को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा जो उपविनियम (5.1) के तहत गैर-अनुपालन या उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि नोटिस में दर्शाया गया है, और यह बताने के लिए कि आयोग को उस पर जुर्माना या शुल्क क्यों नहीं लगाना चाहिए, आयोग के सामने व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत होना होगा। नोटिस में कथित गैर-अनुपालन या उल्लंघन के विशिष्ट संदर्भ में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप का सार बताया जाएगा।

5.3 उपस्थिति के लिए नोटिस में निर्धारित तिथि पर, आयोग उस व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को स्पष्ट करेगा जो गैर-अनुपालन या उल्लंघन के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार है, कि ऐसे व्यक्ति द्वारा गैर-अनुपालन या उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया गया है।

5.4 जहां गैर-अनुपालन या उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति नोटिस के जवाब में उपस्थित होता है और लिखित रूप में एक ज्ञापन द्वारा आरोप की सच्चाई को स्वीकार करता है, आयोग प्रतिक्रिया दर्ज करेगा और अधिनियम और इस उद्देश्य के लिए आयोग द्वारा बनाए गए विनियम के प्रावधान के अनुसार अपने विवेक से जुर्माना और शुल्क लगा सकता है और प्रभावित व्यक्ति (व्यक्तियों) को मुआवजा दे सकते हैं।

5.5 जहां उपस्थिति पर गैर-अनुपालन या उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कथित उल्लंघन या गैर-अनुपालन को स्वीकार नहीं करता है और सुनवाई की मांग करता है, आयोग अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार मामले की सुनवाई करेगा।

5.6 यदि कोई व्यक्ति, जिसे नोटिस जारी किया गया है, सुनवाई के लिए नियत तारीख या किसी बाद की तारीख को, जिसके लिए कार्यवाही स्थगित की गई हो, आयोग के समक्ष उचित कारण के बिना उपस्थित होने में विफल रहता है, तो आयोग ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में अपने विवेक से मामले को आगे बढ़ा सकता है।

5.7 आयोग शिकायतकर्ता कि सुनवाई करेगा और ऐसे सभी साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी, या हलफनामे के माध्यम से, जैसा कि मामले के समर्थन में पेश किया जा सकता है और ऐसे सभी सबूतों को प्राप्त करेगा जो उस व्यक्ति द्वारा अपने बचाव में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार है। जहां आयोग द्वारा प्राप्त सूचना पर कार्यवाही शुरू की गई है, वह अपने किसी भी अधिकारी को मामले में शिकायतकर्ता के रूप में कार्य करने और मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।

5.8 कार्यवाही के किसी भी चरण में आयोग किसी भी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होता है, को साक्ष्य देने या कोई भी दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाने और उपस्थिति को लागू करने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में कार्यवाही की विषय वस्तु के लिए महत्वपूर्ण या प्रासंगिक प्रतीत होता है।

5.9 जुर्माना या शुल्क की मात्रा का निर्धारण करते समय, आयोग अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा:

- i. गैर-अनुपालन या उल्लंघन की प्रकृति और सीमा;
- ii. गैर-अनुपालन या उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्राप्त गलत लाभ या अनुचित लाभ;
- iii. गैर-अनुपालन या उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को हुई हानि या उत्पीड़न की डिग्री; तथा
- iv. गैर-अनुपालन या उल्लंघन के दोहरावदार प्रकृति

6. जुर्माने और प्रभारों के लगाने और वसूली की प्रक्रिया

6.1 यदि किसी कार्यवाही के निष्कर्ष पर, आयोग संतुष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जुर्माना या आरोपों के लिए उत्तरदायी है, तो वह लिखित आदेश द्वारा अधिनियम के प्रावधानों और उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार इस तरह का जुर्माना या शुल्क लगा सकता है और मुआवजा भी दे सकता है।

6.2 इस विनियम के तहत एक आदेश पारित करते समय, आयोग शिकायतकर्ता या प्रभावित पक्ष को उस व्यक्ति द्वारा भुगतान किए जाने के लिए मुआवजा प्रदान कर सकता है जो गैर-अनुपालन या उल्लंघन करता है।

6.3 आयोग द्वारा आदेशित जुर्माना और/या शुल्क का भुगतान आयोग द्वारा जुर्माना या शुल्क लगाने के आदेश के 30 दिनों के अंदर या ऐसे आदेश में आयोग द्वारा अनुमत विस्तारित तिथि के अंदर किया जाएगा।

6.4 जुर्माना और/या प्रभार उसी तरीके से देय होंगे जैसा कि इन विनियमों के खंड 3 के उप खंड (3.2) के तहत प्रावधान किया गया है।

7. संशोधन करने की शक्ति

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी प्रावधान में परिवर्तन, बदलाव या संशोधन कर सकता है।

8. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

यदि इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान बना सकता है जो अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

शुल्क और प्रभार

क्रम संख्या	विवरण	शुल्क और प्रभार
1.	अधिनियम के प्रावधानों के तहत विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए आवेदन:	(i) कैप्टिव जेनरेटर और अक्षय ऊर्जा आधारित जेनरेटर के अलावा लाइसेंसधारी या जेनरेटिंग कंपनी द्वारा: रु. 1,00,000 (केवल एक लाख रुपये) (ii) कोई अन्य: रु. 10,000 (केवल दस हजार रुपये)
2.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 9 की उप-धारा (2) के दूसरे परंतुक के तहत उत्पादन, ट्रांसमिशन सुविधा की उपलब्धता के संबंध में विवाद का न्यायनिर्णयन।	प्रथम 1 मेगावाट ट्रांसमिशन क्षमता के लिए रु. 20,000 (बीस हजार रुपये केवल) और उसके बाद रु. 5,000 (पांच हजार रुपये केवल) प्रति मेगावाट, अधिकतम रु. 5,00,000 (केवल पांच लाख रुपये) के अधीन।
3.	अधिनियम की धारा 15 के तहत लाइसेंस प्रदान करने पर प्रारंभिक लाइसेंस शुल्क	रु. 1,00,000 (एक लाख रुपये) "ऑन अकाउंट" भुगतान के रूप में यदि संबंधित सरकार द्वारा शुल्क का निर्धारण लंबित है
4.	वार्षिक लाइसेंस शुल्क: (i) 33केवी से ऊपर नेटवर्क वाली एकीकृत उपयोगिताओं के लिए ट्रांसमिशन लाइसेन्स (ii) वितरण लाइसेंस (iii) कारोबार लाइसेंस	(i) रु. 2,00,000 (केवल दो लाख रुपये) (ii) रु. 2,00,000 (केवल दो लाख रुपये) (iii) 100 एमयू या उससे कम के लिए न्यूनतम 2,00,000 रुपये (दो लाख रुपये) + प्रत्येक अतिरिक्त 50 एमयू या

		उसके हिस्से के लिए 10,000/-
5.	अधिनियम की धारा 17 के तहत पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन।	रु.1,00,000 (एक लाख रुपये)
6.	अधिनियम की धारा 18 के तहत लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन: (iv) लाइसेंसधारी द्वारा (v) लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा	(i) रु.1,00,000 (केवल एक लाख रुपये) (ii) रु.10,000 (केवल दस हजार रुपये)
7.	अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (2) के तहत लाइसेंस के निरसन के लिए आवेदन: (i) लाइसेंसधारी द्वारा (ii) लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा	(i) रु.1,00,000 (केवल एक लाख रुपये) (ii) रु. 1,00,000 (केवल एक लाख रुपये)
8.	वाली धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (क) के प्रावधानों के तहत टैरिफ का निर्धारण जिसका भुगतान आवेदक द्वारा किया जाना है: (i) पारंपरिक ईंधन आधारित (कोयला, तेल आदि) संयंत्र और पारंपरिक हाइड्रो (25 मेगावाट से अधिक) (ii) सह-उत्पादन सहित ऊर्जा के गैर-पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोत:	(i) 100 मेगावाट तक की क्षमता के लिए रु.10,00,000 (केवल दस लाख रुपये) और प्रत्येक अतिरिक्त मेगावाट या क्षमता के हिस्से के लिए रु. 1,000 (एक हजार रुपये मात्र)। (ii) प्रति मेगावाट या उसके हिस्से की स्थापित क्षमता के लिए रुपये 5,000/- (केवल पांच हजार रुपये) जो न्यूनतम 10,000 रुपये (केवल दस हजार रुपये) के अधीन है
9.	लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान की जाने वाली धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के तहत बिजली के ट्रांसमिशन के लिए टैरिफ का वार्षिक/आधार वर्ष निर्धारण: बशर्ते कि ऐसी फीस देय हो, चाहे ऐसा निर्धारण लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन पर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या आयोग द्वारा स्वतः निर्धारण के आधार पर किया गया हो।	रु.5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
10.	लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान की जाने वाली धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के प्रावधानों के अंतर्गत वार्षिक टू-अप, एपीआर और बिजली के खुदरा और व्हीलिंग शुल्क का निर्धारण: इस तरह के शुल्क का निर्धारण लाइसेंसधारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन या आयोग द्वारा स्व-प्रेरणा निर्धारण पर होता है	रु.10,00,000 (रुपये दस लाख) केवल
11.	टैरिफ आदेश की समीक्षा के लिए याचिका	(i) याचिकाकर्ता द्वारा: भुगतान की गई मूल फीस का 50%; (ii) एसोसिएशन, उपभोक्ता समूह, एचटी/ईएचटी उपभोक्ता द्वारा: रु. 25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र); (iii) एलटी उपभोक्ता द्वारा: रु. 10,000 (केवल दस हजार रुपये)
12.	कोई अन्य समीक्षा याचिका, जो ऊपर शामिल नहीं है	रु. 10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
13.	बिजली खरीद समझौते या बिजली खरीद दर के लिए याचिका।	(i) 100 मेगावाट और उससे अधिक की क्षमता के लिए - रु. 5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)

	(i) लाइसेंसधारी द्वारा	(ii) 10 मेगावाट और उससे अधिक लेकिन 100 मेगावाट से कम की क्षमता के लिए - रु. 3,00,000 (तीन लाख रुपये मात्र) (iii) 10 मेगावाट से कम क्षमता के लिए - रु. 2,00,000 (केवल दो लाख रुपये)
	(ii) लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा	(i) 100 मेगावाट और उससे अधिक की क्षमता के लिए - रु. 3,00,000 (केवल तीन लाख रुपये) (ii) 10 मेगावाट और उससे अधिक लेकिन 100 मेगावाट से कम की क्षमता के लिए - रु. 2,00,000 (दो लाख रुपये मात्र) (iii) 10 मेगावाट से कम क्षमता के लिए - रु. 1,00,000 (केवल एक लाख रुपये)
14.	आयोग के आदेशों/अभिलेखों के निरीक्षण हेतु आवेदन	रु. 2000 (दो हजार रुपये) प्रति पेज; 3 घंटे से अधिक नहीं
15.	आयोग के आदेशों की प्रतियों की आपूर्ति	रु. 5 (पांच रुपये) प्रति पेज।
16.	विविध आवेदन	(i) लाइसेंसधारियों द्वारा आवेदन: रु. 10,000; (ii) व्यक्तियों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा आवेदन: रु. 1,000; (iii) व्यक्तियों द्वारा आवेदन: रु. 500
17.	व्यवसाय योजना के अनुमोदन के लिए याचिका	2,00,000 रुपये (दो लाख रुपये मात्र)

बी.के. धर, (जेकेएस), सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./551/2022-23]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For UT of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh)

NOTIFICATION

Jammu, the 3rd January, 2023

No. JERC-JKL/REG/2023/04.—Whereas, in exercise of powers conferred under sub-section 5 of Section 83 of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003), the Central Government has constituted a Joint Electricity Regulatory Commission for the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh vide S.O. No 1984(E) dated 18.06.2020 and the same started functioning w.e.f. 28.08.2020.

Whereas, in exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-Section (1) of Section 86 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 (No 36 of 2003) and all other powers enabling the Commission in this behalf and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh hereby makes the following Regulations, namely.

1. Short Title, Commencement and Extent

1.1 These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh (Fees, Fines and Charges) Regulations, 2023.

1.2 These Regulations shall come into force from the date of their publication in official Gazette.

1.3 These regulations shall extend to the UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh.

2. Definitions

2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires:

(a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), as amended from time to time;

- (b) “Commission” means the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh;
- (c) “Fees” means fees mentioned in the Schedule;
- (d) “Fines and/or Charges” refers to fines and/or charges that the Commission is empowered to impose under the Act;
- (e) “Generating Company” shall have the meaning ascribed to it under the Electricity Act;
- (f) “Grid” means the high voltage backbone system of inter-connected transmission lines, sub-stations and generating plants;
- (g) “Licensees” mean licensees under the Act;
- (h) “Proceedings” means and include proceedings of all nature that the Commission may hold in the discharge of its functions under the Act;
- (i) “Regulations” mean the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh (Fees, Fines and Charges) Regulations, 2023.
- (j) “Schedule” refers to the schedule appended to these Regulations for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh.
- (k) “Secretary” means the Secretary of the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh.

2.2 Words or expressions used and not defined in these Regulations shall have the meanings assigned to them in the Act, or the Rules or other Regulations framed thereunder.

3. Fees or Charges on Applications and Petitions

- 3.1 Every Application, petition or compliant made to the Commission shall be accompanied by the Fees or Charges specified in the Schedule appended to these Regulations.
- 3.2 The Fees or Charges specified in these Regulations shall be paid by means of preferably by electronic means (such as through Real Time Gross Settlement or National Electronic Funds Transfer); or Bank Draft or Pay Order drawn in favour of ‘Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh’; payable at Jammu or in cash for amounts not exceeding One Thousand Rupees.
- 3.3 The fees received by the Secretary of the Commission under these regulations shall be deposited in a bank account to be maintained by the Commission at such Bank and in such Branches as the Commission may direct from time to time.
- 3.4 No Fee will be payable for fresh Applications in matters which the Commission had earlier disposed of with liberty to the Applicant to approach the Commission after the decision of the concerned higher Court or Tribunal.

4. Licence Fees or Fees Payable on Licence

- 4.1 The Commission may while granting a licence or an exemption to undertake the business of transmission or supply of electricity including bulk supply of electricity or any other order granting any privilege to any person may levy and collect the fee payable in accordance with provisions of the Act and these or any other regulations issued by the Commission, at the time of the grant of licence or privilege and thereafter on an annual or such periodic basis as the Commission may specify in the order granting licence or privilege or in a separate order that may be passed by the Commission.
- 4.2 The existing licensees shall pay the annual fee as specified in the Schedule to these Regulations.
Provided that, for payment of the annual Licence fee by the existing licensee, the Commission shall issue a separate order about applicable date.
- 4.3 All annual licence fees shall be paid by 30th June of each financial year.
- 4.4 In case of late payment of annual fee, Simple interest will be payable on the delayed amount at the rate of 1% per month.

- 4.5 The fees shall be payable and the amount shall be deposited in the same manner as specified in Regulation 3.3 above.

5. Imposition of Fines and Charges

- 5.1 The Commission may initiate a proceeding for imposition of fines and charges and award of compensation upon receiving from the person affected a complaint or on its own if the Commission is of the view that the facts made known prima-facie constitute non-compliance or violation by a generating company, a licensee or other person of any provision or requirement of the Act or of any of the rules or regulations framed there under or of directions or orders of the Commission.
- 5.2 If the Commission decides on the basis of the information received that there is a prima-facie cause to proceed in the matter, a case shall be registered and notice shall be issued to the person who is responsible for non-compliance or violation under sub-regulation (5.1) above to show cause within 30 Days, as indicated in the notice, to appear before the Commission in person or through his authorized representative to explain as to why the Commission should not impose the fines or charges on him. The notice shall state the substance of the allegation against such person with specific reference to the alleged non-compliance or violation.
- 5.3 On the date fixed in the notice for appearance, the Commission shall explain to the person who is prima-facie responsible for non-compliance or violation or his authorized representative, the non-compliance or violation alleged to have been committed by such person.
- 5.4 Where the person who is responsible for non-compliance or violation appears in response to the notice and admits the truth of the allegation by a memorandum in writing, the Commission shall record the response and may impose fines and charges at its discretion in accordance with the provisions of the Act and the Regulations framed by the Commission for the purpose and may also award compensation to the affected person(s).
- 5.5 Where the person who is responsible for non-compliance or violation on appearance does not admit the alleged violation or non-compliance and demands a hearing, the Commission shall proceed to hear the case in accordance with the provisions of the Act and the Regulations.
- 5.6 If any person to whom a notice has been issued fails without reasonable cause to appear before the Commission on the date fixed for hearing or any subsequent date to which the proceeding may have been adjourned, the Commission may at its discretion proceed with the case ex parte in the absence of such person.
- 5.7 The Commission shall proceed to hear the complainant and take all such evidence, oral or documentary, or by way of affidavit, as may be produced in support of the case and take all such evidence as may be produced by the person who is responsible for non-compliance or violation in his defence. Where the proceeding has been initiated upon information received by the Commission, it may direct any of its officers to act as complainant in the matter and present the evidence in the case.
- 5.8 The Commission, at any stage of the proceeding, shall have the power to summon and enforce the attendance of any person who appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the Commission appears to be material or relevant to the subject matter of the proceeding.
- 5.9 While determining the quantum of fines or charges, the Commission shall, inter-alia, consider the following factors:
- i The nature and extent of non-compliance or violation;
 - ii Wrongful gain or unfair advantage derived as a result of the non-compliance or violation;
 - iii Loss or degree of harassment caused to any person(s) as a result of the noncompliance or violation; and
 - iv The repetitive nature of the non-compliance or violation

6. Process for Levy and Recovery of Fines and Charges

- 6.1 If on the conclusion of any proceeding, the Commission is satisfied that any person is liable to fines or charges, it may by order in writing impose such fines or charges in accordance with the

provisions of the Act and the Regulations specified for the purpose and may also award compensation.

- 6.2 While passing an order under this regulation, the Commission may award compensation to the complainant or affected party to be paid by the person found to have committed the non-compliance or violation.
- 6.3 The Fines and/or Charges as ordered by the Commission shall be paid within 30 days of the order of the Commission imposing the Fines or Charges or within such extended date as may be allowed by the Commission in such order.
- 6.4 The Fines and/or Charges shall be payable in the same manner as provided under sub clause (3.2) of clause 3 of these Regulations.

7. Power to amend

The Commission may, at any time, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations.

8. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act as may appear to it to be necessary for removing the difficulty.

SCHEDULE OF FEES & CHARGES

S.No.	Description	Fees & Charges
1	Application for adjudication of disputes under the provisions of the Act:	(i) By a Licensee or by a Generating Company, other than captive generators and Renewable energy based generators: Rs 1,00,000 (Rupees one lakh only) (ii) Any other: Rs 10,000 (Rupees ten thousand only)
2	Adjudication of dispute regarding availability of Generation, transmission facility under the second proviso to sub-section (2) of Section 9 of the Electricity Act, 2003.	Rs.20,000 (Rupees Twenty Thousand only) for the first 1 MW of transmission capacity sought and Rs.5,000 (Rupees Five Thousand only) per MW thereafter, subject to a maximum of Rs.5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
3	Initial licence fee upon grant of licence under Section 15 of the Act	Rs.1,00,000 (Rupees One Lakhs) as “on account” payment pending determination of fees by the concerned Government
4	Annual Licence Fees: (i) Transmission Licence inclusive Integrated Utilities having network above 33kV (ii) Distribution Licence (iii) Trading Licence	(i) Rs.2,00,000 (Rupees Two Lakh only) (ii) Rs.2,00,000 (Rupees Two Lakhs only) (iii) Minimum Rs 2,00,000 (Rupees Two Lakhs) for 100 MUs or less plus 10,000/- for every additional 50 MUs or part thereof
5	Application seeking prior approval under Section 17 of the Act.	Rs.1,00,000 (Rupees One Lakh) only.
6	Application for amendment of licence under Section 18 of the Act: (iv) By Licensee (v) By any Person other than a Licensee	(i) Rs.1,00,000 (Rupees One Lakh only) (ii) Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand only)
7	Application for revocation of licence under sub – Section (2) of Section 19 of the Act: (i) By Licensee (ii) By any Person other than a Licensee	(i) Rs.1,00,000 (Rupees One Lakh only) (ii) Rs.1,00,000 (Rupees One Lakh only)

S.No.	Description	Fees & Charges
8	Determination of tariff under the provisions of clause (a) of sub-section (1) of Section 62 to be paid by the applicant: (i) Conventional fuel based (coal, Oil etc.) Plant and Conventional Hydro (More than 25 MW) (ii) Non – conventional & Renewable Sources of Energy, including cogeneration:	(i) Rs.10,00,000 (Rupees Ten lakh only) for capacity up to 100 MW and Rs.1,000 (Rupees one Thousand only) for each additional MW or part thereof of capacity. (ii) Rs. 5,000/- (Rs. Five thousand only) per MW or part thereof of the installed capacity subject to a minimum of Rs.10,000 (Rupee Ten Thousand only)
9	Annual /base year determination of tariff for transmission of electricity under the provisions of clause (b) of sub-section (1) of Section 62, to be paid by Licensee: Provided that such fees are payable whether such determination is upon application by the Licensee or by any other Persons or Suo-moto determination by the Commission.	Rs.5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
10	Annual True up, APR and determination of retail & wheeling charges of electricity under the provisions of clause (d) of sub-section (1) of Section 62, to be paid by Licensee: <i>such fees determination is upon application by the Licensee or by any other Persons or Suo-moto determination by the Commission</i>	Rs.10,00,000 (Rupees Ten Lakhs) only
11	Petition for review of Tariff Order	(i) By Petitioner: 50% of original fees paid; (ii) By association, group of consumer, HT/EHT consumer: Rs. 25,000 (Rupees Twenty-Five thousand only); (iii) By LT consumer: Rs.10,000 (Rupees Ten thousand only)
12	Any other review Petition, not covered above	Rs. 10,000 (Rupees Ten thousand only)
13	Petition for Power Purchase Agreement or Power Procurement rate. (i) By Licensee	i) For capacity of 100 MW and above - Rs.5,00,000 (Rupees Five Lakh only) ii) For capacity of 10 MW and above but below 100 MW - Rs.3,00,000 (Rupees three lakh only) iii) For capacity below 10 MW - Rs.2,00,000 (Rs Two lakh only)
	(ii) By any person other than licensee	i) For capacity of 100 MW and above - Rs.3,00,000 (Rupees Three Lakh only) ii) For capacity of 10 MW and above but below 100 MW - Rs.2,00,000 (Rupees two lakh only) iii) For capacity below 10 MW - Rs.1,00,000 (Rs one lakh only)
14	Application for inspection of Orders /Records of the Commission	Rs 2000 (Rupees Two thousand) per page ; not exceeding 3 Hours
15	Supply of copies of orders of the Commission	Rs.5 (Rupees Five) per page.

S.No.	Description	Fees & Charges
16	Miscellaneous application	(i) Applications by Licensees: Rs. 10,000; (ii) Applications by entities other than individuals: Rs. 1,000; (iii) Applications by individuals: Rs.500
17	Petition for approval of Business Plan	Rs.2,00,000 (Rupees Two lakh only)

V.K. DHAR, (JKAS), Secretary, JERC

[ADVT.-III/4/Exty./551/2022-23]